न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 15/2020 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2020/00015)

गोपी मीना पुत्र श्री बसन्ता मीना जाति मीना निवासी पटियानकापुरा पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 19.12.2019

उपस्थितिः—

1. श्री रमनलाल मित्तल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 19.09.2022

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 19.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के समक्ष अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को जो दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना मांसलपुर से रिपोर्ट चाही गयी। थानाधिकारी पुलिस थाना मांसलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 385 दिनांक 18.1.2019 में अपीलान्ट के विरूद्ध दायर आपराधिक मुकदमों का जिक करते हुये आवेदक/अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई। इसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करोली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 के जरिये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 19.12.19 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

19.9.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त करने में भारी भूल की है क्योंकि थानाधिकारी की रिपोर्ट में वर्णित मुकदमें सन् 1979, 1976, 1992 के है, जिनमें न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत रिकार्ड से हो रही है तथा थाना मांसलपुर के रिकार्ड में भी अपीलान्ट का बरी होना दर्ज है। परन्तु संबंधित हैड मोहरीर द्वारा थानाधिकारी के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण थानाधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट करौली को भिजवा दी गयी, जिसके आधार पर तहत अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, वे वर्ष 1979, 1976 व 1992 के हैं जिनमें अपीलान्ट को पूर्व में ही बरी कर दिया गया था जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से अपीलान्ट का उक्त अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकृत किया गया है। दिनांक 31.12.2018 के बाद अपीलान्ट के विरूद्ध किसी तरह का कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त अनुज्ञापत्र के अलावा अपीलान्ट के पास एक अन्य अनुज्ञापत्र संख्या एल.एन. 220/एम.एल./61/एस.डब्ल्यू.एम. दिनांक 26.06.1961 टोपीदार बंदूक का है, जिसका दिनांक 31.12.2025 तक नवीनीकरण किया हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट एक सद्चरित्र का वृद्ध व्यक्ति है जिसका गलत तथ्यों के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2019 निरस्त किया जावे। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जिन मुकदमों का हवाला देकर अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है उन समस्त मुकदमों में अपीलान्ट वरी हो चुका है। पूर्व दायर और निर्णित प्रकरणों के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये विधि विरूद्ध तरीके से संभावना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त योग्य है। अपीलान्ट एक सदचरित्र सामाजिक व्यक्ति है और अपीलान्ट का चरित्र पाकसाफ है बाबजूद इसके बिना किसी ठोस कारण के अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र खारिज किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिये पारित किया गया है इसलिए उक्त आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है व अपीलान्ट ने इसका कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और हमेशा समय–समय पर जिला मजिस्ट्रेट करौली के हर आदेश की अक्षरशः पालना की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2019 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

19.9.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 उनके समक्ष तत्समय प्रस्तुत हुये रिकार्ड व दस्तावेज के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें प्रथम द्रष्ट्या कोई अनियमितता नजर नही आती क्योंकि अपीलान्ट की ओर से उसके अनुज्ञापत्र संख्या–34/एस.डी.एम/करौली/74 का विधिवत नवीनीकरण किये जाने बाबत् जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2018 को प्रस्तुत किया जिसके साथ अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की फीस जमा कराये जाने संबंधी चालान की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नवीनीकरण अनुज्ञापत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना मांसलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें थानाधिकारी मांसलपुर ने रिपोर्ट दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के साथ हैड मौहरीर थाना मांसलपुर द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 08.01.2019 की प्रति संलग्न की गई। इस रिपोर्ट में अपीलान्ट/आवेदक के विरूद्ध 4 मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। थानाधिकारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से विधिवत नोटिस दिनांक 09.12.2019 को जारी किया गया। जिसमें दिनांक 19.12.2019 को उपस्थित होकर पक्ष रखने की अपेक्षा की गई। इस नोटिस की पालना में अपीलान्ट/आवेदक द्वारा दिनांक 19.12.2019 को जबाव पेश किया गया। इस जबाव में नोटिस में वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया केवल यह उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु चालान जमा करा दिया गया है। अतः नवीनीकरण की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2019 पारित किया गया जिसमें थानाधिकारी मांसलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/आवेदक का अनुज्ञापत्र निरस्त कर उसमें दर्ज शस्त्र को जब्त सरकार करते हुये जिला शस्त्रागार में जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। अतः अपीलान्ट का यह कथन कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया, सारहीन हो जाता है। परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट का यह दायित्व था कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में अद्यतन स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती, क्योंकि थानाधिकारी मांसलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित सभी प्रकरण दिनांक 31.12.2018 से पूर्व के हैं तथा दिनांक 31.12.18 तक जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाता रहा है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त की गई सूचना दिनांक 13.03.2020 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें थानाधिकारी मांसलपुर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट/आवेदक के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 70/79 में दिनांक 22.09.86 को राजीनामा होने, प्रकरण संख्या 111/1976 में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना, मुकदमा नं0 191/92 में निर्णय दिनांक 03.02.94 के द्वारा फैसला प्रताडना दिये जाने तथा मुकदमा नं0 136/93 जुराइम मुकदमा होने

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

19.9.20
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का उल्लेख किया है। इसी तरह अपीलान्ट के पक्ष में जारी एक अन्य अनुज्ञापत्र संख्या 220/एम.एल./61/एस.डब्ल्यू.एम. में दिनांक 31.12.2025 तक नवीनीकरण किया हुआ है। उक्त नवीनीकरण भी थानाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया होगा। एक ही व्यक्ति के प्रकरण में दो अलग–अलग आधार लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2019 को उचित नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक करौली से पुनः रिर्पोट प्राप्त करें तथा अपीलान्ट को आयुध अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों के तहत सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद पुनः अपीलान्ट को जारी अनुज्ञापत्र के संबंध में नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर